जनपद न्यायालय चन्दौली।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायलय चन्दौली, कम्प्यूटर अनुभाग के निष्प्रयोज्य कम्प्यूटर/सहवर्ती उपकरणों की नीलामी दिनांक 14.12.2023 को अपरह्न 01.30 बजे जनपद न्यायालय चन्दौली के कार्यलय में नीलामी के लिए गठित समिति के समक्ष की जायेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियमों एवं शर्तों की जानकारी जिला न्यायालय चन्दौली के नोटिस बोर्ड, कार्यालय नजारत अनुभाग, कार्यालय कम्प्यूटर कक्ष, न्यायालय की बेबसाइट एवं माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

नीलामी की शर्ते

1. उक्त सभी सामान जनपद न्यायालय चन्दौली के नजारत अनुभाग में रखा है जिसे वहां जाकर देखा जा सकता है, उक्त सामान जहाँ रखा है उसी हालत में उसका विक्रय नीलाम समिति द्वारा नियमत तिथि/स्थान पर किया जायेगा। बोली बोलने वाले की अपनी जिम्मेदारी होगी कि वह बोली बोलने से पहले उक्त सामान का भली–भाँति निरीक्षण कर ले।

2. नीलामी के लिए गठित समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताये नीलामी अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम उच्चतम् बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रुप से स्वीकार की जायेगी।

3. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलने से पूर्व अग्रिम के रुप में रु. 1000.00 जमा करके टोकेन प्राप्त करना होगा।

4. नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोली दाता को बोली की आधी धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलामी के स्वीकार होने के उपरान्त जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यह धनराशि जमा नही करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा पुन नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

5. बोली की अन्तिम रुप से स्वीकृति होने के पश्चात उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम् बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करके नीलाम किये गये समान को अपने खर्चे पर जनपद न्यायालय चन्दौली परिसर से ले जाना होगा। यदि सम्बन्धित द्वारा समयान्तर्गत परिसर से उक्त समान नही हटाया जाता है तो कार्यालय में जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित बोली दाता का होगा।

6. नीलामी की बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकते है जिनके ऊपर विभाग का कोई बकाया अवशेष न हो।

7. नीलामी स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को है।

8. नीलामी स्वीकृत करने के पूर्व किसी स्तर पर पूर्व सूचना दिये जाने और इसे निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित है।

(अनुराग शर्मा)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
जनपद न्यायालय चन्दौली।